UPST010057192026

न्यायालय–अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्या. संख्या–03, जनपद सुलतानपुर।

उपस्थितः राम प्रताप सिंह राणा, उच्चतर न्यायिक सेवा।

(जे.ओ. कोड– यू.पी. 6279)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1947/2026

मो. रहमान उर्फ रहमान पुत्र जुबैर अहमद,

निवासी ग्राम ओदरा, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर।

----------- **प्रार्थी/अभियुक्त।**

– प्रति –

उ.प्र. राज्य ----------- **प्रतिपक्षी/अभियोजन।**

अपराध संख्या–197/2026,

धारा–190,191(1),191(2),352,115(2),351(3),109 भा.न्या.सं.

व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,

थाना–गोसाईगंज, जनपद–सुलतानपुर।

दिनांक–04.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त मो. रहमान उर्फ रहमान की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र अपराध सं. 197 सन 2026, धारा–190, 191(1), 191(2), 352, 115(2), 351(3), 109 भारतीय न्याय संहिता (संक्षेप में भा.न्या.सं.) व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जो सत्र न्यायालय से अन्तरित होकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र में कथन है कि उसका उक्त अभियोग में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न तो कभी दिया गया है, न विचाराधीन है और न ही निर्णीत हुआ है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) के तर्कों को सुना एवं प्रार्थनापत्र व अभियोग दैनिकी का सम्यक परिशीलन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त मो. रहमान उर्फ रहमान का अग्रिम जमानत प्रार्थना में अभिकथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अभियोग में बिल्कुल निर्दोष है महज रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 01 दिन विलम्ब से विधिक रायमशविरा लेकर दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई

युक्ति–युक्त कारण नहीं दर्शाया गया है। उक्त अभियोग में किसी भी चोटहिल को प्राणघातक चोटें नहीं आयी हैं। उक्त अभियोग में किसी भी चोटहिल को न तो धारदार हथियार की चोट है और न ही फायर आर्म्स की इंजरी है। उक्त अभियोग की तहरीर व गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा–161 दं.प्र.सं./धारा–180 बी.एन.एस.एस. में काफी विरोधाभास है। उक्त अभियोग में घटना का कोई मोटिव नहीं दर्शाया गया है। उक्त अभियोग में चिकित्सक ने सभी चोटहिलों की चोटों को साधारण प्रकृति की बताया है। उक्त अभियोग के वादी उपनिरीक्षक नियाज खान व स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी विपिन विश्वकर्मा की बयान अन्तर्गत धारा–161 दं.प्र.सं./धारा–180 बी.एन.एस.एस. का कोई अपराध नहीं बनता है। उक्त अभियोग के विवेचक ने मनमाने ढंग से बयान दर्ज करके उक्त अभियोग के चश्मदीद साक्षी विपिन विश्वकर्मा व चोटहिल नावेद अहमद को एक ही गांव का बता दिया है, जबकि दोनों अलग–अलग गांव के रहने वाले है। उक्त अभियोग पहले सात वर्ष से कम की सजा की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया, बाद में दौरान विवेचना चोटहिलों की आहत आख्या को नजर अंदाज करके सिर्फ गिरफ्तारी करके अपमानित करने की गरज से धारा–109 बी.एन.एस.एस की बढ़ोत्तरी की गयी है। उक्त अभियोग के चोटहिल व मुल्जिमानों ने अपने धारा–161 दं.प्र.सं./धारा–180 बी.एन.एस.एस. बयान में घटना का समय शाम 06:30 बजे बताया है, जबकि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक नियाज खान तहरीर में घटना का समय 08:30 बजे रात्रि बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त दोषसिद्ध अपराधी नहीं है और न ही किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

6. सम्बन्धित अभियोग की प्राथमिकी के अनुसार वादी उपनिरीक्षक नियाज अहमद द्वारा अभियुक्तगण नावेद, अल्ला करम, जुबैर, जावेद, जुनैद, इरशाद अहमद, इबरार अहमद, इरफान अहमद, फुरकान, जहांगीर, अरमान, सफात, अख्तर, दिलदार, रहमान, दिलदार, अट्टू, नग्गू एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध अपराध संख्या–197 सन 2026, धारा–190, 191(1), 191(2), 352, 115(2), 351(3) भा.न्या.सं. व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर में अभियोग की प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी। वादी उपनिरीक्षक नियाज अहमद के द्वारा प्राथमिकी में अभिकथित किया गया कि दिनांक 31.05.2026 को रात्रि लगभग 08.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सैफुल्लागंज बाजार में दो पक्ष आपस में मारपीट व विवाद कर रहें है। प्राप्त सूचना पर वह मय हमराहियान ग्राम सैफुल्लागंज बाजार पहुंचा तो देखा कि पुराने रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं जिसमे प्रथम पक्ष के 1. नावेद 2. अल्ला करम 3. जुबैर 4. जावेद 5. जुनैद 6. इरशाद अहमद 7. इबरार अहमद 8. इरफान अहमद 9. फुरकान 10. जहांगीर 11. अरमान व अन्य अज्ञात तथा दूसरे पक्ष के 1. सफात 2. अख्तर 3. दिलदार 4. रहमान 5. दिलदार 6. अट्टू 7. नग्गू व अन्य अज्ञात पुराने रंजिश को लेकर एक दूसरे से गाली गलौज करते हुए ईंट, पत्थर, लाठी डण्डा व कुल्हाड़ी लेकर ललकार रहे थे तथा एक दूसरे पर लाठी डण्डा व कुल्हाड़ी चला रहे थे आपसी मारपीट में कुछ लोगों

को चोटें भी आयी हैं। जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि दोनों पक्ष ग्राम ओदरा थाना कोतवाली देहात सुलतानपुर के रहने वाले हैं जिनके मध्य पुराने रंजिश को लेकर विवाद है। दोनों पक्षों के इस प्रकार सड़क पर सरेआम पर एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकते हुए झगड़े पर आमादा हो जाने पर आमजन भयाक्रान्त हो गये तथा गांव में अफरा–तफरी का माहौल बन गया लोग दहशत में आ गये और लोग मौके से भागने लगे तथा लोग अपने घरों मे छिप गये तथा दरवाजा बन्द कर लिये। मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा लोगों को काफी समझाया–बुझाया गया, किन्तु वह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आये इस पर तत्काल उच्चाधिकारीगण को सूचित कर घटना के बारे में बताया गया। मौके पर बलवा कर रहे दोनों पक्षों के मध्य बीच बचाव किया गया तो दोनों पक्ष के लोग पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे को देख लेने तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से तितर–बितर हो गये।

7. विवेचक द्वारा विवेचना के अन्तर्गत वादी उपनिरीक्षक नियाज अहमद का कथन अंकित किया गया और घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी द्वारा विवेचक को दिये गये अपने कथन में प्राथमिकी के तथ्यों की पुष्टि की गयी। विवेचक द्वारा आहत नावेद का बयान अंकित किया गया। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जान से मारने के आशय से लाठी–डण्डा से मारपीट कर उसे मरणासन्न कर दिये जाने का कथन किया गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ताजुद्दीन, शमीम अहमद विपिन विश्वकर्मा के कथन अंकित किये गये। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा आहत नावेद के कथन का समर्थन किया गया। विवेचक द्वारा आहत व्यक्तियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 109 भा.न्या.सं. की बढोत्तरी की गयी। विवेचक द्वारा आहत नावेद अहमद के चिकित्सीय प्रपत्र संकलित किये गये। विवेचक द्वारा दिनांक 02.06.2026 को सहअभियुक्तगण शफाद, मो. असगर उर्फ अट्टू एवं जुबैर अहमद को गिरफ्तार किया गया। विवेचक द्वारा सहअभियुक्तगण की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सम्प्रति अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

8. अभियोग दैनिकी में संकलित साक्ष्य से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त मो. रहमान उर्फ रहमान द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक आयुधों से सज्जित होकर सार्वजनिक स्थान पर लोक शान्ति भंग करते हुए बलवा करने तथा विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत नावेद को जान से मारने के आशय से लाठी–डण्डा से मारकर उपहतियाँ कारित करने और गालियाँ व जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोग है। अभियुक्त द्वारा कारित उपहतियों के कारण आहत नावेद तीन दिन तक स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सुलतानपुर में उपचाराधीन रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। विवेचना में संग्रहीत साक्ष्य से प्रश्नगत अभियोग में प्रार्थी/अभियुक्त मो. रहमान उर्फ रहमान की संलिप्तता प्रकट हो रही है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त मो. रहमान उर्फ रहमान के जमानत पर मुक्त किये जाने पर साक्षियों को प्रभावित किये जाने की संभावना है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त मो. रहमान उर्फ रहमान के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त निम्न अभियोग–

क्रम	अपराध संख्या	धारा	थाना
1.	269/2022	323, 504, 506, 392 भा.दं.सं.	कोतवाली देहात
2.	578/2023	392, 323, 504, 506, 34, 109	कोतवाली नगर
3.	546/2022	3/25 आयुध अधिनियम	मुस्तफाबाद
4.	543/2022	365, 506 भा.दं.सं.	मुहम्मदाबाद
5.	648/2022	3, 25, 115(2), 190, 191(2), 191(3), 333, 351(3) बी.एन.एस.	मुहम्मदाबाद

पंजीकृत होने दर्शित किया गया है। अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में उसके दोषसिद्ध अपराधी नहीं होने और किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं होना अभिकथित किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवायी में उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों के सम्बन्ध में माँगे गये स्पष्टीकरण में अपराध संख्या 269/2022, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर में प्रस्तुत आरोप पत्र पर पंजीकृत दाण्डिक वाद न्यायालय में विचाराधीन होने और उक्त अभियोग में जमानत नहीं प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण में अपराध संख्या 543/2022, थाना मुरादाबाद, जनपद मऊ तथा उपरिवर्णित सूची में अंकित अभियोगों से इतर अपराध संख्या 633/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम, थाना मुरादाबाद, जनपद मऊ के अभियोगों में जमानत पर होने और दाण्डिक वाद न्यायालय में विचाराधीन होना स्वीकार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की स्पष्टीकरण स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की जानकारी थी। जिससे प्रतीत होता है कि अनुकूल आदेश प्राप्त करने के आशय से अभियुक्तगण के इतिवृत्त को छिपाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की स्पष्टीकरण स्वीकारोक्ति से यह भी स्थापित है कि उसके इस तथ्य की भी जानकारी थी कि उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों से सम्बन्धित दाण्डिक/सत्र परीक्षण वाद न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी प्रार्थी ने जमानत प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में न्यायालय में कोई दाण्डिक वाद पंजीकृत नहीं होने का मिथ्या कथन किया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्मल मन (With clean hands) से न्यायालय नहीं आया है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। सहअभियुक्तगण सफाद उर्फ सफात व मो. असगर उर्फ असगर उर्फ अट्टू का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय से निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

माननीय उच्च न्यायालय ने Unish Khan Vs. State of U.P. & others [2023 (123) ACC 828] के प्रकरण में अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में अवधारित किया है कि

It may be kept in mind that anticipatory bail is an extraordinary remedy to be exercised in suitable cases only. The power under Section 438 Cr.P.C. cannot be utilized in a routine manner and definitely not as a substitute for regular bail. This discretionary power calls for existence of facts of the kind where the court

is satisfied that its interference is necessary to further the cause of justice and to prevent misuse of process of law.

9. अतः अपराध की प्रकृति, प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता व उसके द्वारा कारित अपराध के सामाजिक प्रभाव के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मो. रहमान उर्फ रहमान** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं. 1947 सन 2026, सम्बन्धित अपराध सं. 197 सन 2026, धारा– 190, 191(1), 191(2), 352, 115(2), 351(3), 109 भा.न्या.सं. व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर **निरस्त** किया जाता है।

(राम प्रताप सिंह राणा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, जनपद सुलतानपुर।
(जे.ओ. कोड– यू.पी. 6279)

दिनांक–04.07.2026
दिनेश कुमार (आशुलिपिक)

Digitally signed by RAM PRATAP SINGH RANA
Date: 2026.07.07 12:39:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court